

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

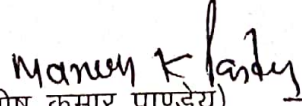
जी० आर० नं०— 76 /25

अरवल(साइबर)थाना काण्ड संख्या 17/2024

22.02.2025 वाद पुकारा गया। मामले में काराधीन बंदी सुब्रनील मंडल एवं अपर्णा मिस्त्री को बी०सी० के माध्यम से कारा से प्रस्तुत किया गया एवं अभिरक्षा अधिपत्र वापस किया गया। अभियुक्तों ने कारा में किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं कही है। साथ ही साथ प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक 17.02.2025 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण सुब्रनील मंडल एवं अपर्णा मिस्त्री के विरुद्ध भा० न्याय० संहि० की धारा— 318(4), 336(3), 338, 61(2), 303(2) तथा 66(सी), 66(डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 02/25 दिनांक 17.02.2025 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पेनड्राइव एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों, आरोप पत्र कांड दैनिकी के पैरा— 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 68, 70, 75, का अवलोकन किया। तत्पश्चात् न्यायालय मामले के अभियुक्तगण 1. सुब्रनील मंडल 2. अपर्णा मिस्त्री के विरुद्ध भा० न्याय० संहि० की धारा— 318(4), 336(3), 338, 61(2), 303(2) तथा 66(सी), 66(डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में प्रथम दृष्टया मामला बनता हुए पाती है तत्पश्चात् अभियुक्तों 1. सुब्रनील मंडल 2. अपर्णा मिस्त्री के विरुद्ध भा० न्याय० संहि० की धारा— 318(4), 336(3), 338, 61(2), 303(2) तथा 66(सी), 66(डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संज्ञान लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है चूंकि मामले में अनुसंधान जारी है तथा अभियुक्त काराधीन है। अतः अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है की अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करे।

वाद दिनांक—06.03.2025 वास्ते उपस्थापन।

लेखापित,


(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे० ओ० कोड बी० आर० 00961) 22-02-25
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अरवल।